## कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

431

२१ ५५ / FP/UK/ROAD/38635/2019 दिनॉक:देहरादून

6 जून, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,

भारत सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,

25-सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:—जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण सेरा मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:—भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 31.03.2021 महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 31.03.2021 -के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 5012/12—1 दिनांक 29.05.2021 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	Are mentioned in the FRA of DM is 1.89 ha. State govt. may submit clarification in this regard.	Corrected FRA Certificate has been uploaded online at relevant place.
2	Tree list of 21 trees in civil soyam land non- forest land is submitted. State govt. may submit the tree list for trees in civil soyam land and non- forest land separately.	पेड़ों की सूची को पृथ्क—पृथ्क कर additional information के निर्धारित कॉलम में online upload किया गया है।
3	As per DSS analysis 1 ha area found in MDF. DFO may inspect the area and submit site inspection report or a certificate mentioning if 1000 trees per ha can be accommodated or not. if not, then the plantation scheme as per guidelines dt. 08-11-2017 may be submitted.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रमाण पत्र Additional information part-I से अपलोड कर दिया है।
4	Name of the CA area is not mentioned in the CA scheme, which may be done.	CA Scheme with name has been uploaded.
5	Swell factor is not added in the muck disposal plan state govt. may submit the muck disposal plan with swell factor cal	New Muck Disposal Plan has been uploaded online.

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्नक:— यथोपरि।

भवदीय

(डा० कपिल जोशी) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, अस्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक / FP/UK/ROAD/38635/2019 / दिनांकित। प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, केंदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर पत्रांक 5012/12—1 दिनांक 29.05.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पोखरी।

(डा० कपिल जोशी) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।